महत्वपूर्ण एवं खास

छात्राओं ने रैली निकालकर मतदान करने की अपील की

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिले के स्कूल कालेज के माध्यम से निष्पक्ष मतदान के लिए गांव और शहर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ के स्कूली छात्राओं के द्वारा विगत दिवस सारंगढ़ के विभिन्न गलियों में नारा के माध्यम से मतदान का अधिकार का महत्व को बताया गया। इस अवसर पर सहयोगी शिक्षक के साथ प्राचार्य एस आर बैरागी उपस्थित थे।

राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 29 को भर्ती परीक्षा आयोजित

बालोद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 29 अक्टूबर 2023 को बालोद जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। संयुक्त कलेक्टर एवं व्यापम के नोडल अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि इसके अंतर्गत सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर) कार्यालय सहायक/सामान्य सहायक/समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा रविवार 29 अक्टूबर को सुबह 10 से 12.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह कनिष्ठ प्रबंधक(2)/ कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग (ट्रेजरी विशेषज्ञ/मुख्य लेखापाल)/उप प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली दोहपर 02 बजे से 4.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा 29 अक्टूबर को जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी उपाय सुनिश्चित की गई है। इसके लिए परीक्षा केंद्रवार प्रेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है।

नक्सलियों ने लगाया था चार किलो का आईईडी, जवानों ने किया डिफ्यूज

नारायणपुर-रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने अपना आतंक फैलाना फिर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने लगाया गया आईईडी बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्चिंग में निकले सुरक्षा बलों ने नारायणपुर जिले के ओरछा के घोटुलपारा में आईईडी बरामद किया है। मौके से निकाले गए आईईडी करीब चार किलो का है। जानकारो की माने तो यदि यह ब्लॉस्ट होता तो काफी तबाही मच जाती। मगर इसके पूर्व ही जवानों ने इसे बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। जवानों ने आईईडी ट्रेक कर मौके पर डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि यह ओरछा थाने का मामला है। थाना के डीआरजी बस्तर फाइटर और सीएएफ की संयुक्त कार्रवाई की गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय नक्सली सक्रिय हो गए हैं। नक्सलियों ने पहले ही पर्चा फेंककर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के संबंध में जारी किया गया आदेश

- चुनाव प्रचार में सामान्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यम आवाज में हो
- ऊंची आवाज जो शारीरिक मानसिक बाधा उत्पन्न करेंगे वो प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति, अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन् विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, ऑटो, तिपहिया, स्कूटर, मोटर सायकल, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़को एवं उप गलियों पर चलते हैं, तथा गांवो, बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए पाए जाते हैं। लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय- संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

इन कोलाहाल से होने वाले परेशानियों के निराकरण के लिए कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि

निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता हैं क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र, निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर, अवैधानिक उपयोग, जिससे जनमानस की शांति एंव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985, की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना, अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा तथा तत्काल प्रभावशील होगा।

चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय मेंअनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ एवं अन्य अनुविभाग मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील मुख्यालय मे अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन -2023... दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त दलों को निशुल्क प्रसारण के लिए मिलेगा समय

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों के नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा पिछले विधानसभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों ,जैसी भी स्थिति हो,में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त समय आबंटन का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के दो दिन पहले तक दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण हेतु कुल 629 मिनट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रसारण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा लॉट निकालकर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समुचित समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा।।

कलेक्टर व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विगत दिनों स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया और वहां जिला निर्वाचन अधिकारी को आबंटित ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रिटर्निंग अधिकारियों को बांटा गया, जिसका रिकार्ड कंप्यूटर में किया गया। इसके साथ ही साथ कलेक्ट्रेट के समीप मंडी परिसर के बड़े हाल में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान के लिए सेक्टरवार बांटने और वापस जमा करने के व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर डॉ सिद्दीकी

ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना स्थल का भी भौतिक निरीक्षण कराया और संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा व डॉ स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी आर महेश्वरी, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, तहसीलदार आयुष तिवारी, मंडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदि उपस्थित थे।

नया जगतपुर वार्ड में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने की रेड कार्यवाही, अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। शहर में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर कोतवाली पुलिस लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। गत दिनों कोतवाली मधुबनपारा, रियापारा और संजय मार्केट में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर शराब रेड कर आरोपियों पर आबकारी एक्ट के कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2023 के शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को नया जगतपुर वार्ड में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा नया जगतपुर में संदेही कार्तिक एक्का के घर पर शराब रेड कार्यवाही किया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा शराब रेड कार्यवाही में आरोपी कार्तिक एक्का पिता बेलसिंह एक्का उम्र 28 वर्ष निवासी नया जगतपुर थाना कोतवाली रायगढ़ के पास से 7 लीटर महुआ शराब कीमती रु.700 आरोपी की जप्ती कर आरोपी को मय शराब थाने लेकर आया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में 34(2),59(क) के तहत आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में महिला प्रधान आरक्षक अरुणा चौरसिया एवं हमराह आरक्षक कोमल तिवारी, सुशील मिंज शामिल थे।

पेडन्यूज को किया गया चिन्हित, परीक्षण कर नोटिस जारी करने के निर्देश

- आदर्श आचार संहिता के अनुरूप ही जारी हो सकेंगे विज्ञापन
- मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बैठक आयोजित

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों के बारे में बताया और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एमसीएमसी के गठन की जरूरत और इसके कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। समिति की बैठक में बताया गया कि एमसीएमसी का कामकाज आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही शुरू हो गया है।

प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया ईकाई द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के साथ विज्ञापनों पर सत्त निगरानी रखने के साथ अखबारों के कतरन, स्क्रीन शॉट और विजुअल संग्रहित किए जा रहे हैं। टीम द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 9 प्रात:कालीन तथा सांध्य समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित राजनीतिक समाचारों को चिन्हित किया गया है। पार्टियों द्वारा घोषित उम्मीदवारों और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रकाशित एक जैसे समाचारों को चिन्हित कर पेडन्यूज के रूप में रखने और संबंधित को नोटिस जारी करने के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी कतरनों का परीक्षण कर नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने निर्देशित किया कि मीडिया को जारी होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखे। बैठक में बताया गया कि लगभग 50 से अधिकारियों की टीम हर पल की खबर पर निगरानी रख रहे हैं। चुनाव संपन्न होने तक सभी चैनलों के प्रसारण को देखा जा रहा है। प्रमाणन की जरूरत इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित केबल, रेडियो, ई पेपर, सिनेमा घर और सार्वजनिक दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए होगा। सभी तरह की मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का कन्टेन्ट आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप होना चाहिए। अन्यथा इसकी प्रकाशन प्रसारण अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेड न्यूज के बारे में बताया कि पेड न्यूज (क्रीत समाचार) से तात्पर्य समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों से है, जो वास्तव में किसी दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अपने लाभ के लिए प्रायोजित किए जाते हैं।

फेसबुक पर दोस्ती कर ब्लैकमेल का प्रयास, एक युवक गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। फेसबुक पर दोस्ती कर एक युवती को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले युवक को जिले की उरगा पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार गत 15 अक्टूबर को थाना उरगा क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता ने अपने भाई के साथ थाना उरगा में एक लिखित शिकायत देकर अपराध दर्ज कराया कि सन 2022 के सितंबर महीना में मध्यप्रदेश के बड़वानी के मूल निवासी अभय खिराडे नाम के लडक़े से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। आरोपी अभय खिराड़े पीड़िता के फेसबुक अकाउंट से मोबाइल नंबर निकालकर पीड़िता से व्हाट्सप चैटिंग करता था। उसके बाद माह अगस्त 2023 में पीड़िता से मिलने कोरबा आया और एक लॉज में रुक कर पीड़िता को मिलने बुलाया। पीड़िता के द्वारा उसकी इच्छा अनुरूप काम करने से मना करने पर आरोपी गुस्सा गया और पीड़िता से अनाप शनाप बात करना शुरू कर दिया। पीड़िता के फोटो को अश्लील रूप से एडिट करके ब्लैकमेल करने लगा। जब पीड़िता ने आरोपी को मोबाइल में ब्लॉक कर दिया, तब आरोपी एडिट किए हुए अश्लील फोटो को फेसबुक के माध्यम से ग्रुप बना कर वायरल कर दिया और पीड़िता को भी भेजा। जब पीड़िता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी तब पीड़िता का भाई आरोपी अभय खिराड़े से बात कर ऐसा नहीं करने और वायरल पोस्ट को डिलीट करने की विनती करने लगा। तब आरोपी के द्वारा डिलीट करने के बदले पैसे की मांग करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। 352/23 धारा 384, 509 (ख), 67 आई टी एक्ट के मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उरगा के द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला को अवगत कराया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवम नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के मार्गदर्शन में तत्काल टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी हेतु टीम को गुजरात मोरबी भेजा गया, जहा आरोपी अभय खिराड़े को पकडऩे में सफलता प्राप्त की गई है।

जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिमकार्ड को पेश किया जिसे पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। 23 अक्टूबर 23 को अभय खिराड़े पिता जगदीश कीराड़े उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम 164 पटेल फलिया कुंजरी थाना सेंधवा तहसील निवाली जिला बड़वानी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्तले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैधान्तिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तेजी से हो रहा निराकरण

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप (सिटिजन विजिल एप) पर लोगों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। सी विजिल के माध्यम से 23 अक्टूबर तक की स्थिति में प्राप्त कुल 771 शिकायतों में से 761 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है और शेष शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि आम नागरिकों से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी- विजिल के माध्यम से मिल रही हैं। सी-विजिल पर मिलने वाली शिकायतों

के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले स्वयं प्रतिदिन मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की निगरानी कर रही हैं।

विधानसभा निर्वाचन - 2023 के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित सी- विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है। अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ-साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे। यदि कोई नागरिक राज्य में आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटनास्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप्प में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है।पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी। यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए एंड्राइड/ आईओएस दोनो पर उपलब्ध है। सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनिट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।

सीविजिल एप का उपयोग करते हुए नागरिक गैर कानूनी प्रचार-प्रसार क्रियाकलापों का पता लगते ही मिनटों के अंदर तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाए बिना तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। सीविजिल एक आसान ऐप है जो प्रयोक्ता अनुकूल तथा उपयोग करने में आसान है। यह एप्लिकेशन सतर्क नागरिक को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी तथा फिल्ड सत्यापन इकाई (उडऩ दस्ते / स्थैतिक निगरानी दलों) से जोड़ती है जिसके द्वारा एक तेज तथा सटीक रिपोर्टिंग, कार्रवाई एवं अनुवीक्षण तंत्र तैयार होता है।